सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(पत्र सूचना शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

- संवासियों को बी0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न आवंटन।

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

कल्याणकारी संस्थाओं में निवास करने वाले संवासियों को बी0पी0एल0 दर पर माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर 2008 के लिए खाद्यान्न का मासिक आवंटन कर दिया गया है। खाद्यान्न आवंटन के बारे में जानकारी देते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद ने बताया कि कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले संवासियों के लिए माह जुलाई से सितम्बर 2008 तक की अवधि के लिए पूर्व की भांति 42.58 मीट्रिक टन चावल तथा 18.25 मीट्रिक टन गेहूँ का मासिक आवंटन हुआ है।

आयुक्त ने बताया कि कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले संवासियों को प्रति संवासी प्रतिमाह 10 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 5 कि0ग्रा0 चावल बी0पी0एल0 दर पर आवंटन किया गया है।

....

उत्तर प्रदेश में 7014 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश में आज विद्युत की प्रतिबन्धित मांग 7374 मेगावाट के सापेक्ष 7014 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा दिन के समय 360 मेगावाट विद्युत की आपात कटौती की जा रही है।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा दिन में 2:00 बजे 1853 मेगावाट, तापीय विद्युत, जल विद्युत केन्द्रों द्वारा 671 मेगावाट, को–जनरेशन द्वारा 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा केन्द्रीय पूल से 4440, मेगावाट विद्युत का आयात किया जा रहा था।

आज ओबरा में 482 मेगावाट, अनपरा में 1202 मेगावाट, पनकी में108 मेगावाट, हरदुआगंज में 22 मेगावाट तथा पारीछा में 39 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था।

....

- भारी वर्षा के कारण प्रदेश की कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती एवं कुवानों नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुँच गया है। चाँदपुर में घाघरा नदी खतरे के निशान से 79 से0मी0 ऊपर बह रही है तथा अयोध्या में नदी का जल स्तर 92.94 मीटर है, जोकि खतरे के निशान से 21 से0मी0 ऊपर है।

अधिशासी अभियन्ता श्री माधव रमन अग्रवाल ने यह सूचना आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि तुर्तीपार श्रीनगर बांध के किमी0 67.80 से 70.00 के मध्य घाघरा नदी का दबाव बना हुआ है तथा किमी0 69.85 पर पूर्व निर्मित रिंग बांध पर सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि तुर्तीपार श्रीनगर बांध पूर्णतया सुरक्षित है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि रौनाही तटबंध के किमी0 4.200 के स्तर पर पानी के अत्यधिक दबाव से लांचिंग एप्रन लांच कर गया है जिसके कारण पिचिंग भी स्लिप कर गया है। उन्होंने बताया कि वायर क्रेट में बोल्डर भरवाकर रिक्यूपमेन्ट का कार्य कराया जा रहा है। अयोध्या बिल्वहरि घाट तटबंध एवं रौनाही तटबंध सुरक्षित है।

....

- जनपद सहारनपुर में तेन्दुए की आठ खाल बरामद
- अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश वन एवं पुलिस विभाग द्वारा वन्य जीवों की तस्करी रोकने से सम्बन्धित प्रयासों के परिणाम स्वरूप सहारनपुर में खालों की बरामदगी हुई है। प्रकरण में वन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा फरार अभियुक्तों को पकड़ने की कार्यवाही की गयी है।

यह जानकारी श्री सुखजिन्दर सिंह, मुख्य वन संरक्षक ने आज यहॉ देते हुए बताया है कि 27 जुलाई को रात्रि 11:50 बजे सहारनपुर में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तेन्दुएं की आठ खालें बरामद की गयी। प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुखबिरी के आधार पर इन्तखाब नामक व्यक्ति से महारानी होटल सहारनपुर के पास तेन्दुएं की एक खाल बरामद करने के पश्चात् उससे पूछताछ के आधार पर माजिद निवासी रायपुर, थाना मिर्जापुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर के घर से तेन्दुएं की सात खालें और बरामद की गयी।

मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि चार अभियुक्तों माजिद पुत्र मकसूद अली, निवासी ग्राम रायपुर, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, इन्तखाब पुत्र श्री जिल्लु रहमान, निवासी मोहम्मद–काजी, थाना कुतुब बसेर, जिला सहारनपुर, मो0 इमरान पुत्र श्री महबूब, निवासी आली की चुँगी, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर एवं लियाकत वन गुर्जर थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में से तीन अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जनकपुर में वन्य जीव संरक्षण

अधिनियम–1972 की धारा–51, 52, 57, 09, 39 आई0पी0सी0 की धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट की धारा–25 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

....

- विद्युत सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
- विद्युत पोल अब 60 मीटर की दूरी पर लगेंगे।
- अब केवल रैकून कन्डक्टर का ही प्रयोग होगा।

ऊर्जा मंत्री

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय ने पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि विद्युत सामग्री की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कहीं मानक से निम्न स्तर का सामान लगा मिलेगा तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सामान ख्याति प्राप्त फर्मों से ही खरीदें, भले ही वे थोड़े मंहगे ही क्यों न हों।

ऊर्जा मंत्री आज यहाँ शक्ति भवन में सामग्री खरीद के सम्बन्ध में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ट्रान्सफार्मर, केबिल, मीटर, ए0बी0सी0 कन्डक्टर हर हालत में अच्छी फर्मो से ही खरीदें क्योंकि उनके सामान की गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है तथा इससे किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पावर एनलाइजर टेस्ट पर खरे उतरने वाले ट्रांसफार्मर खरीदे जाय। उन्होंने स्टोर में विभिन्न क्षमता के कुछ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखने के निर्देश दिये ताकि तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरन्त बदला जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सामग्री खरीदने में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब विद्युत खम्भों को 60 मीटर की दूरी पर लगाये जायं तथा अधिक भार सहन करने वाले केवल रैकून कन्डक्टर का प्रयोग किया जाय। इस सम्बन्ध में रेस्पो को निर्देशित किया गया कि फील्ड के सभी अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाय। इसके अलावा 3 फेज 4 वायर वाले मीटर खरीदने के साथ ही इन मीटरों को 3 फेज 3 वायर मीटरों के स्थान पर लगाये जाय तथा इसे प्राथमिकता पर पूरा

करायें। ए0बी0सी0 कन्डक्टर को अति भारित क्षेत्रों में न लगायें तथा चोरी रोकने हेतु इसे लगाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के ट्रांसफार्मर में तेल कम नहीं होना चाहिए तथा जहाँ कहीं कम हो वहाँ नया ट्रांसफार्मर आयल ही डालें।

ऊर्जा मंत्री ने डिस्कामों के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित शिड्यूल के हिसाब से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करायें क्योंकि इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम विद्युत की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलें तथा जर्जर तारों को ठीक करायें। उन्होंने कहा कि जर्जर तारों की वजह से आकस्मिक मौत होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी अम्बेडकर गाँवों को दिसम्बर तक हर हालत में विद्युतीकृत कर दें इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाशत नहीं की जाएगी।

बैठक में अध्यक्ष पावर कारपोरेशन श्री प्रदीप शुक्ला, प्रबन्ध निदेशक श्री अवनीश अवस्थी, ऊर्जा सचिव, श्री आलोक टण्डन, निदेशक वितरण श्री अरूण, डिस्कामों के प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

....

- घरेलू पर्यटन, आवासीय स्थिति एवं झुग्गी बस्तियों का सवेक्षण होगा।
- 29 से 31 जुलाई तक योजना भवन में कार्यशाला
- 30 जून 2009 तक पूर्ण होगा सर्वेक्षण

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

29 से 31 जुलाई तक योजना भवन के सभागार में घरेलू पर्यटन, आवासीय स्थिति एवं झुग्गी बस्तियों के संरक्षण हेतु एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण गोष्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी भाग लेंगे। प्रशिक्षण उपरान्त पूरे प्रदेश में इन तीन विषयों को लेकर सर्वेक्षण कार्य शुरू होगा जो 30 जून 2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशक, डा0 राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि इन तीनों विषयों पर 1568 इकाइयाँ सर्वेक्षित की जायेंगी, जिसमें 1120 ग्रामीण तथा 448 नगरीय इकाइयाँ होंगी। इस प्रकार 39,200 परिवारों के आकड़े सर्वेक्षित किये जायेंगे।

....

- श्रम विभाग के वादों को निपटाने हेतु श्रमलोक अदालतों का आयोजन किया जाय।

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रमिकों/वादकारियों को सुलह व सस्ता न्याय दिलाने के लिए तथा लंबित श्रमिक मुकदमों को त्वरित गति से निस्तारण हेतु श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में श्रम लोक अदालतों के आयोजन करने हेतु निर्देश दिया गया है। श्रम लोक अदालत समिति में वरिष्ठतम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय अध्यक्ष, उप श्रमायुक्त, सचिव तथा अन्य पीठासीन अधिकारी सदस्य होंगे। इस संबंध में सहायता एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित जनपदों जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी श्रम अनुभाग–2 के विशेष सचिव ने दी है।

....